

फाइल-6/317-01/2003-3112

भारखंड-सरकार
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रक,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजा, भारखंड, रांची ।

सेवा में,

सचिव,
सी०पी०एस०ई०नई दिल्ली ।

रांची, दिनांक - 17-12-2004

विषय:-

भारखंड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विद्यालय को सी०पी०एस०ई०, नई दिल्ली से संबंधित हेतु अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशानुसार कहना है कि मानव संसाधन विकास विभाग, भारखंड सरकार के द्वारा पिचारोपरान्त राज्य के अन्तर्गत संचालित ब्लू बेल्ल स्कूल, कास्टर टाउन, देवघर को सी०पी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु नीचे अंकित शर्तों एवं बन्धनों के अधीन दो वर्ष के लिये अस्थायी अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है:-

1. विद्यालय के सभी अग्र शिक्षित शिक्षकों को दो वर्षों के अन्दर प्रशिक्षित करा लिया जायेगा ।
2. विद्यालय में वर्तमान निर्मित हॉल को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार 60x60 वर्गमीटर क्षेत्रफल आकार का एक वर्ष के अन्दर पूरा कर लिया जायेगा ।
3. विद्यालय में कर्तव्य प्रदर्शन द्वारा वरिष्ठ शिक्षक/

शिक्षिका जिला शिक्षा पदाधिकारी/क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक एवं न्यायालय में अपील कर सकेंगे तथा इनका निर्णय विद्यालय प्रबन्धन के लिये मान्य होगा ।

4. भारखंड सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी नए नियम/परिचय विद्यालय के लिये बनाये जायेंगे उनका पालन न करना विद्यालय के लिये बन्धनकारी होगा ।
5. मानव संसाधन विकास विभाग, भारखंड सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रयोगशाला उपकरण एवं पुस्तकालय हेतु पुस्तकों की सूची के अनुसार छः माह के अन्दर विद्यालय द्वारा क्रमशः उपकरण एवं पुस्तक पूरा कर लिया जायेगा ।

उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धनों के अतिरिक्त विभागीय आदेश संख्या 1055 दिनांक-5.9.2001 के आलोक में निम्नांकित शर्तों एवं बन्धनों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा:-

1. विद्यालय की वार्षिक वृत्त आय 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विद्यालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है । कुल आय का 10 प्रतिशत जो वृत्त होगी उसका उपयोग & भी विद्यालय के विकास में किया जायेगा । विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को प्रू0030

BLUE BELLS CHARITABLE TRUST

Blue Bells Charitable Trust

Blue Bells Charitable Trust

Sh. ...
DIRECTOR

Boose
Principal

Arati Basu
Secretary

BLUE BELLS SCHOOL
Ram Kumar
Secretary

SCHOOL MANAGING COMMITTEE
The Blue Bells School, Deoghar

SCHOOL MANAGING COMMITTEE
The Blue Bells School, Deoghar

THE BLUE BELLS SCHOOL

कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एवं भत्ते के बराबर सुमतान करना होगा ।

2. विधालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा ।
3. विधालय को शहरी क्षेत्र में 28वॉर्ड स्कूल एवं ग्रामीण क्षेत्र में 48 वॉर्ड स्कूल भूमि विधालय के नाम से निर्धारित या कम से कम 308 तीसरे चर्चों के निर्धारित प्लॉट/लीज पर होना चाहिये । यदि भविष्य में जॉचोपरान्त भिन्न स्थिति पाई जायेगी तो अनापति प्रमाण-पत्र वापस लेने का अधिकार सरकार को सुरक्षित होगा ।
4. विधालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिये ।
5. नामांकन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं लिया जायेगा ।
6. गरीबी रेखा के नीचे के छात्र/छात्राओं का 10 प्रतिशत सीट नामांकन के लिये सुरक्षित होगा साथ ही सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा ।
7. विधालय का कार्यक्रम राष्ट्र के हित में होना चाहिये । विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता का संचार, नैतिक तथा राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों, ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक ज्ञानवर्धक, शारीरिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु साकाररत्मक प्रयास करना होगा ।
8. विधालय के में पत्रों की समुचित संख्या एवं उसके अनुपात में शिपक होना चाहिये ।
9. विधालय में नामांकन प्रक्रिया कर्मियों की संख्या, योग्यता एवं नियुक्ति प्रशिक्षण आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीक्षोपरान्त सशोधन कर सकेगी ।
10. विधालय संचालन हेतु गठित नियमावली के आधार पर गठित शाली निष्ठा के सदस्यों की कार्यवाही पूर्ण होने पर सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा ।
11. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एक्सटेन्सन प्रोग्राम तथा स्नोर्सोर्सो, स्नोर्सोर्सो, स्काउट एवं गाईड्स आदि को सुचारु रूप से करना होगा ।
12. यदि कोई संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बन्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या-1055 दिनांक-5.9.2001 के अनुसार शर्तों का पालन करना होगा अन्यथा अनापति प्रमाण-पत्र वापस लेने का सर्वाधिकार राष्ट्र सरकार में सुरक्षित होगा ।
13. उपर्युक्त शर्तों एवं दन्धों का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापति प्रमाण-पत्र रद्द करने का अधिकार होगा ।
14. अनापति प्रमाण पत्र के लिये विधालय द्वारा समर्पित कागजातों एवं अभिलेखों का जाली या वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाय या विधालय द्वारा राष्ट्र या राज्य हित के विरुद्ध किया जा रहा हो या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक कटुता फैला हो तो सरकार निर्गत अनापति प्रमाण-पत्र को वापस ले सकती है ।
15. विधालय द्वारा उपर्युक्त शर्तों एवं दन्धों का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी जाँच समय-समय पर मानव संसाधन विकास विभाग, राज्य सरकार के सहायक पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहे विधालय संस्था के वित्तीय एवं अकादमिक अनियमितताओं की जाँच करा सकेगी और जॉचो-परान्त अनुवर्ती कार्रवाई कर सकेगी ।

3112
17/12/2004

कृपयुक्त

BLUE BELLS CHARITABLE TRUST

Blue Bells Charitable Trust

DIRECTOR

Arati Basu.
Secretary

BLUE BELLS SCHOOL
Rumal
Secretan

SECRETARY
School Managing Committee
The Blue Bells School

DIRECTOR
School Managing Committee
The Blue Bells School

THE BLUE BELLS SCHOOL

Principal

Blue Bells Charitable Trust

-3-

16. रतद दिव्यक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा

माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा ।

17. समय-समय पर लोकहित में सरदार द्वारा विधालय सम्बन्धन संबंधी जो निर्णय लिये जायेंगे उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शास्त्रों का उल्लंघन मानते हुए अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने के साथ साथ अन्य कानूनी कार्यवाई भी की जा सकेगी ।

विशवासभाजन

[Signature]
निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा झारखंड, राँची

आपाक 3112 / राँची, दिनांक-17-12-2004

प्रतिलिपि, संबंधित क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/ संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित विधालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याध्यक्षित ।

[Signature]
निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा झारखंड, राँची ।

आपाक 3112 / राँची, दिनांक-17-12-2004

प्रतिलिपि, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड के आप्त सचिव/ सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याध्यक्षित ।

[Signature]
निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा झारखंड,

राँची ।

[Signature]

BLUE BELLS CHARITABLE TRUST

Blue Bells Charitable Trust

Blue Bells Charitable Trust

[Signature]
DIRECTOR

[Signature]
Principal

[Signature]
Secretary

BLUE BELLS SCHOOL
[Signature]
Secretary

SCHOOL MANAGING COMMITTEE
The Blue Bells School Rancher

SCHOOL MANAGING COMMITTEE
The Blue Bells School Rancher

THE BLUE BELLS SCHOOL

[Signature]
Principal